

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, सीवान के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित)से 01 पूर्ण स्थायी निःशक्तता के मामले में ₹ 75000/- (पचहतर हजार रूपए) एवं 04 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 120000/- (एक लाख बीस हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 195000/- (एक लाख पनचानवे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/ पति का नाम	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती बेबी देवी, श्री जनार्दन ठाकुर, अ० पि० वर्ग	स्वयं	370/28.05.2018	ग्रा०-अर्कपुर, पो०-शिवपुर सकरा, था०-असांव, प्र०-आंदर, सिवान	1006251010003030	सिवान क्षेत्री ग्रामीण बैंक, सकरा बाजार, CBINOR10001	₹ 75000/- (पचहतर हजार रूपए)	पूर्ण स्थायी निःशक्तता, खेतिहर मजदूर
2	स्व० मुसाफिर राम, स्व० धनु राम, अनु० जाति	श्रीमती सुनरपति देवी(पत्नी)	459/17.07.2018	ग्रा०-बड़वा कला, पो०+था०+प्र०-बसंतपुर, सिवान	1006781030072435	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, सोहिल पट्टी, CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
3	स्व० जमादार यादव, श्री यदुवीर यादव, पि० वर्ग	श्रीमती लिलावती देवी(पत्नी)	460/17.07.2018	ग्रा०-मिल्की माधवापुर, पो०-परिचमी हड़सर, था०+प्र०-दरौदा, सिवान	1006431010006068	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
4	स्व० सलामत मियाँ, मो० उस्मान मियाँ, अ० पि० वर्ग	श्रीमती हलिमा बेगम(पत्नी)	479/27.07.2018	ग्रा०+पो०-के०टी० भरौली, था०+प्र०-दरौदा, सिवान	0991101024992	केनरा बैंक, CNRB0000991	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, निर्माण श्रमिक
5	स्व० राजमोहन साह, श्री रामचंद्र साह, अ० पि० वर्ग	श्रीमती प्रमिला देवी(पत्नी)	499/01.08.2018	ग्रा०-देवनचक, पो०-जगदीशपुर, था०+प्र०-नौतन, सिवान	30098100007703	बैंक ऑफ बड़ौदा, BARBOSIWANX	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, बर्दई

कुल :- ₹ 195000/-

(एक लाख पनचानवे हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-18/2018 के पृष्ठ-16/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-18/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना

सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-13/2018-426

पटना, दिनांक :- 07-09-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 195000/- (एक लाख पनचानवे हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, सीवान को उनके पत्रांक 478 दिनांक 27.07.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, सीवान को उनके ज्ञापिकांक 370 दिनांक 28.05.18, 459, 460 दिनांक 17.07.2018, 479 दिनांक 27.07.2018, 499 दिनांक 01.08.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/ आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

20/09/18

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

20/09/18

(डा0 गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

20/09/18

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।